न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	उ० प्र० - 27/2017	
16-4-18	बहुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। शेष अप्रार्थीगण न०12 ता 17 की तलबी हेतु सम्मन तलबाना पेश किये पर तामील जारी की जाकर पत्रावली दिनांक 24-5-18 को पेश हो। Gm-	
8-5-18	राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार वर्ष–2018 श्रीमान संयुक्त शासन सचिव महा शासन (राज–1) दिनांक जयपुर के पत्रांक प12 (15) [illegible] के पालना एवं [illegible] जिला [illegible] के [illegible] निर्देश/आदेश के पालना में पत्रावली [illegible] 24-5-18 से तलब होकर आज पेश हुई। उक्त [illegible] में पत्रावली लोक अदालत की सुनवाई हेतु रखी जाना [illegible] अदालत/कैम्प कोर्ट स्थल अटल सेवा केन्द्र अजीतगढ़ में दिनांक 24-5-18 को पत्रावली पेश हो। उक्त निर्धारित दिनांक एवं स्थल पर उपस्थित होने हेतु सम्बन्धित पक्षकारान को नोटिस जारी हो। Gm-	
	~~इनवानी प्रकरण लोक अदालत/केम्प कोर्ट स्थल-.. ..... में पेश हुआ/ वकील वादी प्रतिवादी [illegible] उपस्थित/ अनुपस्थित। प्रकरण में लोक अदालत की भावना से पक्षकारान [illegible] के [illegible] के मध्य [illegible]~~	
018	पत्रावली आज राज्य सरकार के द्वारा चलाये जा रहे न्याय आपके द्वार अभियान–2018 के महत आयोजित राजस्व लोक अदालत के कैम्पः– अजीतगढ़ में पेश हुई। प्रार्थीगण व वकील अप्रार्थीगण लोक अदालत में उपस्थित आये। प्रकरण में अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 11 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश हो चूका है। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से सम्बन्धित मूल वादपत्र तकास्मा से सम्बन्धित होने से मूल Gm-	अनुपस्थित Mutchujal पारावारिक [illegible] [illegible]

Scanned by CamScanner

छीतरमल बनाम गोकुलराम वगैरह मुं.नं. 27

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	
	वादपत्र में आज ही लोक अदालत की भावना से विधिक हुक्मिया कार्यवाही एवं सुनवाई निर्णय जाने हेतु प्रारम्भिक डिक्री जारी हो चूकी है।
	अतः ऐसी स्थिति में इस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में निर्णय किया जाना उचित समझता हूँ। प्रकरण में वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण न. 12 ता 17 को तादौराने वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित भूमि खसरा नम्बर 2484, 2285, 2292 से 2295 कुल किता 6 कुल रकबा 0.69 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम अजीतगढ़ व खसरा नम्बर 1688 रकबा 0.29 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम हथौरा व खसरा नम्बर 1551/1852 रकबा 1.11 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम मण्डूस्या तहसील श्रीमाधोपुर के राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 24.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर न्याय आपके द्वार अभियान–2018 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत के कैम्प– अजीतगढ़ के मजमे–ए–आम में सुनाया गया। (ब्रह्म लाल जाट) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) कैम्पः– अजीतगढ़

Scanned by CamScanner